संख्याः–240 /VI(1)/2015–02(16)/2011

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2015

विषयः–वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनान्तर्गत अवशेष अनुदान धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–333/2–7–156/2014–15, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में ऋण उपादान स्वरोजगार योजनान्तर्गत राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि ₹ 1000.00 लाख में से अवशेष धनराशि ₹ 600.00 लाख **(₹ छः करोड़ मात्र)** व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा इसके क्रम में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व मद के सापेक्ष परिव्यय की पुष्टि कर ली जायेगी।

(v) वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–12 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो

(vi) उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(vii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(viii) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(x) वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2— उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3452—पर्यटन—80—सामान्य—आयोजनागत—104—संबर्धन तथा प्रचार—07—ऋण उपादान/स्वरोजगार योजना—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 में की गयी व्यवस्था के कम में जारी किये जा रहे है।

4— उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014—15 के अनुदान संख्या—26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी—S.1501260356 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या— 240 /VI(1)/2015—02(16)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— वित्त अधिकारी,साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3— आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4— समस्त जिलाधिकारी।
5— समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी।
6— वित्त अनुभाग—2. उत्तराखण्ड शासन।
7— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव।